कार्यालय, नगर परिषद, मधुबनी

भवन निर्माण अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक 20 अभिलेख सं0 20 दिनांक 17/5/18

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती गुंजेश्वरी कॉन्स्ट्रक्शन [illegible] नन्दन सिंह एवं साईहोम्स पार्टनर देवानन्द झा पिता/पति पता बाबूसाहेब [illegible] वार्ड न0 3 मधुबनी को वार्ड न0 03 में स्थित खेसरा न0 2676, 2672, 2678, 2679, 2700, 2701, 2702, 2703/655 में रकबा 14 कट्ठा 12 धूर पर आवासीय/व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुज्ञप्ति निम्न क्षेत्रफल के अनुसार दिया जाता है।

आवासीय – भुतल/ प्रथम/ द्वितीय /तृतीय + चतुर्थ एवं पंचम	6502.84 वर्गमीटर x 4 वर्गफीट
व्यवसायिक – भुतल/ प्रथम/ द्वितीय/तृतीय	—— वर्गफीट

ब्लॉक A+B+C+D.

उपरोक्त भवन निर्माण की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है–

शर्तें –

1. प्रस्तावित भवन निर्माण पारित नक्शा के अनुरुप करने की बाध्यता होगी।
2. पारित नक्शा के विपरीत निर्माण होने पर नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन नियमावली 2014 के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
3. प्रस्तावित भवन निर्माण के आगे 05 फीट छोड़कर निर्माण करना है एवं दोनों तरफ तीन फीट जमीन छोड़कर निर्माण करना होगा, यदि प्रस्तावित निर्माण की चौड़ाई 10 मीटर से अधिक हो।
4. यह अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।
5. भवन निर्माण के क्रम में तीनों स्तर यथा D.P.C., Lintel एवं छत ढलाई के समय नगर अभियन्ता का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन एवं भवन भुकम्परोधी निर्माण किया जा रहा है। इस आशय का प्रमाण संलग्न करना होगा। अन्यथा अनुज्ञप्ति स्वतः अवैध या निरस्त समझा जायेगा।
6. प्रस्तावित भवन निर्माण के सामने सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 (बारह) फीट होना आवश्यक होगा। उससे कम होने की स्थिति में तथ्य को छिपाकर पारित कराने की स्थिति में किसी भी प्रकार के आपदा का जिम्मेदार स्वयं भू–स्वामी होंगे।
7. भवन निर्माण उपविधि 2014 के तहत भवन की उँचाई सामान्य स्थिति में 11 (ग्यारह) मीटर से ज्यादा नहीं होगा।
8. भवन निर्माण करने की अवधि में आवधिक प्रमाण पत्र यथा समय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. निर्धारित अवधि के अन्दर भवन निर्माण नहीं होने की स्थिति में पारित नक्शा एवं अनुज्ञप्ति नवीकरण कराने के पश्चात ही निर्माण करना अनिवार्य होगा।
10. भवन निर्माण होने के पश्चात् तुरन्त पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
11. व्यवसायिक भवन निर्माण एवं वाणिज्यक आवासीय भवन निर्माणोपरान्त भवन में अग्निशमन सयंत्र रखना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी प्रकार के आपदा के समय तत्कालिक निपटारा किया जा सके।
12. भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता का लगाने से संबंधित प्रमाण पत्र भू–स्वामी को निर्माण अवधि में कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधुबनी